न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 19/2022

अनवान : –

1. संजय कुमार पुत्र प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. बंशीलाल पुत्र देवीलाल जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. संदीप पुत्र देवीलाल जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. कमला पत्नी देवीलाल जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

अवमानना याचिका अन्तर्गत
आदेश 39 नियम 2(क) सीपीसी

उपस्थिति :– 1. श्री महेश राठौड़ अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 08/10/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) जाब्ता दीवान इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के पिता प्रेम कुमार आदि के नाम से रोही मौजा 7 जे एस एन तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 58/52 के प०नं0 353/382 (35) के किला नम्बर 1 ता4 प्रत्येक की 0.02530 है०, किला नम्बर 5–6 प्रत्येक की 02150 है0,7–4 प्रत्येक की 0.2530 है0,15 की 0.2150 है0, 16 की 0.2140 है0, 17 ता 19 प्रत्येक की 0.2530 है0, 2012 की 0.2160 है० कुल 4.7800 है० पत्थर नम्बर 353 / 382 मु०नम्बर 82 / 4 किला नम्बर 0 की 0.1520 है० गैर मुमकिन रास्ता कुल किता 21 का कुल क्षेत्रफल 4.9320 है0 भूमि है जिसमे प्रार्थी के पिता प्रेम कुमार के नाम से 13/48 हिस्सा भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है एव प्रार्थी एवं उसका परिवार काश्त करते है।

प्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के पिता पर बनवान बंशीलाल बनाम प्रेम कुमार आदि प्रकरण संख्या (564 / 2019) किस्म मुकदमा 88 आर टी एक्ट एवं प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 101 / 2019 बनवान बंशीलाल बनाम प्रेम कुमार आदि अंतर्गत 212 आर टी एक्ट तारीख दायर 31–07–2019 प्रस्तुत किया हुआ है। जिसमे माननीय न्यायालय ने प्रार्थी के पिता प्रेम कुमार के नाम दर्ज 13/48 हिस्सा भूमि की रिकोर्ड की यथा स्थिति बनायी रखने के आदेश दिनांक 31–07–2019 को जारी किये जा चुके है। उक्त स्थगन (यथा–स्थिति) आदेश बाबत अप्रार्थीगण को अच्छी तरह से वाकिफ रहे है एवं उक्त आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है। बंशीलाल बनाम प्रेम कुमार आदि प्रकरण संख्या (564/2019) किस्म मुकदमा 88 आर टी एक्ट में प्रार्थी के पिता प्रेम कुमार के फौत होने के बाद उनके वारिसान, जिनमे से प्रार्थी भी है को पक्षकार बनाया जा चूका है। इसलिए उक्त प्रकरण में प्रार्थी [illegible] है। चूंकि उपरोक्त संयुक्त खाता की भूमि में खाता विभाजन नहीं हुआ है एवं प्रार्थी [illegible] पिता एवं उनके बाद उनके पुरे परिवार का उक्त संयुक्त खाता की कृषि भूमि में से 13/48 हिस्सा की कृषि भूमि पर हक हिस्सा है। परन्तु अप्रार्थीगण ने बदनियत एवं लालच के वशीभूत होकर प्रार्थी की भूमि जिसे प्रार्थी [illegible] उसके पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:17:38 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

और परिवार ने बमुश्किल कृषि योग्य किया है, को येन केन अपने हिस्से से भी अधिक हडप करने की योजना बनाते रहते है।

अप्रार्थीगण ने अपने इसी आशय की पूर्ति में प्रार्थी एवं उसके परिवार के हक़ हिस्से की कृषि भूमि में माननीय न्यायालय के यथास्थिति के आदेश की जानबूझकर अवहेलना कर उक्त आदेश पारित किये जाने की दिनांक 31–07–2019 के बाद जबरन मकान तामिरात कर लिए है। माह नवंबर 2022 में ही अप्रार्थीगण ने न्यायालय आदेश की अवहेलना करते हुए प्रार्थी की कब्ज़ा काश्त में पक्की कुई तामिरात कर ली एवं 2 हरे पेड़ स्थायी रूप से काट कर जमीन से अलग कर दिए है, प्रार्थी के खेत में से गवार की फसल चोरी कर ले गये है, काश्त खेत में जबरन ट्रेक्टर एवं रोटावेटर चलाकर गवार की फसल नष्ट कर दी गई। अप्रार्थीगण येन केन प्रार्थी की कृषि भूमि पर स्थायी तामिरात के जरिये कब्ज़ा कर रहा है एवं अन्य को बेचान करने की फिराक में है। अप्रार्थीगण उक्त संयुक्त खाता की कृषि भूमि पर यह जानते हुए की यह कृषि प्रयोजन के लिए है एवं न्यायालय द्वारा यथास्थित का आदेश प्रभावी है, पर तामिरात के अलावा विद्धयुत विभाग का घरेलु कनेक्शन भी ले लिया है। अप्रार्थीगण येन केन उक्त संयुक्त खाता की कृषि भूमि किस्म कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि कर रहे है, न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध रिकोर्ड की यथा स्थिति स–आशयबदल दी है। जिससे उक्त कृषि भूमि को ऊँची और मनचाही रेट पर बेच सके। जबकि उक्त कृषि भूमि अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु एवं मात्र कृषि प्रयोजन के लिए ही है। उक्त कृषि भूमि का कृषि भूमि से अतिरेक किसी भी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उस पर भी अगर उक्त कृत्य माननीय न्यायालय के यथास्थित के आदेश जारी करने के बाद किया जाता है तो अप्रार्थीगण का यह कृत्य न्यायालय के अवमान, अवज्ञा एवं अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम–2 (ए) सीपी सी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय उपखंड अधिकारी नोहर मूल प्रकरण संख्या (101 / 2019) बनवान बंशीलाल बनाम प्रेम कुमार आदि में पारित यथा स्थिति आदेश दिनांक 31–07–2019 की अवज्ञा के दोष स्वरूप अप्रार्थीगण को सिविल कारावास से दण्डित फ़रमाया जाकर अप्रार्थीगण को रोही मौजा 7 जे एस एन तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 58 / 52 के प०नं0 353 / 382 (35) के किला नम्बर 1 ता4 प्रत्येक की 0.02530 है०, किला नम्बर 5–6 प्रत्येक की 02150 है0,7–4 प्रत्येक की 0.2530 है0,15 की 0.2150 है0, 16 की 0.2140 है0, 17 ता 19 प्रत्येक की 0.2530 है0, 20/2 की 0.2160 है0 कुल 4.7800 है0 पत्थर नम्बर 353 / 382 मु०नम्बर 82 /4 किला नम्बर 0 की 0.1520 है0 गैर मुमकिन रास्ता कुल किता 21 का कुल क्षेत्रफल 4.9320 है0 भूमि है, जिसमे प्रार्थी एवं उसके परिवार का भी हक़ एवं हिस्सा है, में हुए स्थायी एवं पक्के तामिरात को हटवाये जाने, अप्रार्थीगण 1 ता 3 को प्रार्थी के खेत से 2 हरे पेड़ काटे जाने के विरुद्ध दण्डित करे एवं जुर्माने अधिरोपित करते हुए, प्रार्थी को पेड़ बाबत क्षतिपूर्ति की राशी प्रदान की जावे एवं अप्रार्थी संख्या 4 को आदेशित किया जावे की त्त कृषि भूमि में जारी किया गया घरेलू विद्धयुत कनेक्शन तुरंत हटा दिया जावे का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर [illegible] अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण के तरफ से अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार [illegible]रा अधिवक्ता उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:17:38 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) जाब्ता दीवान पर मनन किया। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त वाद भूमि बाबत दिनांक 25.08.2022 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई की उक्त भूमि में अकृषि कार्य न किया जावे प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भूमि में निर्माण किया गया है लेकिन प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे साबित हो कि अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिया जा रहा है एवं प्रार्थी द्वारा कोई मौका रिपोर्ट पेश नही की गई है केवल कथन किया गया है अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के किसी आदेश की अवहेलना किया जाना प्रतीत नही होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नही होने/स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) जाब्ता दीवान साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:17:38 IST
Reason: SelfAttested